रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2015/फाल्गुन 19, 1936

No. 132] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2015/PHALGUNA 19, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2015

सा.का.नि.178(अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को—

(i) केंद्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (वर्ग-1 और वर्ग-2 पर) भर्ती नियम, 1969, को जहां तक उसका संबंध निदेशक, उप-निदेशक, सहायक निदेशक (कर्मचारी बृंद प्रशिक्षण), ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वृत्तिक अनुसंधान), अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी (वृत्तिक अनुसंधान) और प्रशिक्षण अधिकारी के पदों से है;

(ii) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (ज्येष्ठ प्रोग्रामर) भर्ती नियम, 1988;

(iii) रोजगार निदेशालय, महानिदेशक रोजगार और प्रशिक्षण (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1994; और

(iv) श्रम मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, उपनिदेशक (पुनर्वास) (समूह 'क' राजपत्रित) और सहायक निदेशक (पुनर्वास) भर्ती नियम, 2004, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, करना का लोप है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में निदेशक रोजगार, संयुक्त निदेशक रोजगार, उप निदेशक रोजगार और सहायक निदेशक रोजगार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, रोजगार निदेशालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) लागू होना:- ये नियम इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

(3) पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

(4) भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

(5) निरर्हता – वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक रोजगार	23* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+ ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वालें व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किए जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः ऐसे रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अनुसंधान अधिकारी-2 या योजना अधिकारी या उप क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या विशेष कार्य अधिकारी या कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी या मनोविज्ञानी या क्षेत्रीय व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों के सहायक तकनीकी (ज्येष्ठ), ज्येष्ठ तकनीकी सहायक या पुनर्वास अधिकारी, जो वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं और श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्थान से सहायक निदेशक रोजगार उन्नतर प्रोन्नति के पद के कर्तव्यों और उत्तर दायित्वों के क्षेत्र में रोजगार सेवा में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य; 3. उप महानिदेशक (रोजगार), - सदस्य; श्रम और रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय 4. निदेशक (प्रशासन), - सदस्य श्रम और रोजगार मंत्रालय	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण-1:- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक से पहले पूरा नहीं किया है, उन पर भी इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जाएगा कि वे विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे। **टिप्पण-2:-** ऐसे व्यक्ति जो दो वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं प्रोन्नति के लिए ऐसे प्रशिक्षण से उन्हें छूट प्राप्त होगी। **टिप्पण-3:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण-4:-** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाए उस दशा के,		

जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर गई सेवा समझी जाएगी।		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
उप महानिदेशक रोजगार	29*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	चालीस वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और

					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

7.	8.	9.	10.
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से अर्थशास्त्र या सांख्यकीय गणित या मनोविज्ञान या समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री, (ii) सरकारी संगठनों या राज्य विधान मण्डल अधिनियम द्वारा सृजित विश्वविद्यालयों या संस्थाओं में निम्न का पांच वर्ष का अनुभव हों। (क) आकड़ों के संग्रह, विशलेषण और निर्वचन करना या सामाजिक-आर्थिक अन्वेषण, या जनसांख्यिकी, रोजगार और मानव शक्ति से संबंधित समस्याएं, या (ख) रोजगार सेवा संचालन जिसके अंतर्गत रोजगार बाजार सूचना भी है, या (ग) व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार परामर्श, या (घ) कार्मिक संगठन और प्रबंध (ङ) इलेक्ट्रोनिक आंकडा प्रसंस्करण **टिप्पण 1** – अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** – अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु-नहीं शैक्षिक अर्हताएः हाँ	सीधे भर्ती के लिए एक वर्ष	30 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 70 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

11.	12.	13.
प्रोन्नतिः ऐसे सहायक निदेशक रोजगार जिनकी वेतन बैंड-3,15600-39100 रु+ग्रेड वेतन 5400 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा है और श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्थान से उप निदेशक रोजगार के प्रोन्नति के पद के कर्तव्यों और उत्तर दायित्वों से संबंधित क्षेत्र मे दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण 1**: ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक से पहले पूरा नहीं किया है, उन पर भी इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जाएगा कि वे विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे। **टिप्पण 2** : ऐसे व्यक्ति जो दो वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं प्रोन्नति के लिए ऐसे प्रशिक्षण से उन्हें छूट प्राप्त होगी। **टिप्पण 3**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उन्नतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	I. समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे – 1. सचिव या अपर सचिव, - अध्यक्ष, श्रम और रोजगार मंत्रालय 2. महानिदेशक या संयुक्त सचिव, - सदस्य, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय 3. उप महानिदेशक (रोजगार) - सदस्य, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय 4. रोजगार निदेशक, - सदस्य, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय II. समूह "क" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - 5. सचिव या अपर सचिव, - अध्यक्ष, श्रम और रोजगार मंत्रालय 6. महानिदेशक या संयुक्त सचिव, - सदस्य, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय 7. उप महानिदेशक (रोजगार) - सदस्य, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय 8. रोजगार निदेशक, - सदस्य, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग कि सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) - केन्द्रीय सरकार या संघराज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिनकी वेतन बैंड-3,15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा है, और (3) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। टिप्पण 1 :– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

टिप्पण 2 – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** – प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4** – प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या इस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
संयुक्त निदेशक रोजगार	5* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

1149 GI/15-3

7.	8.	9.	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा

11.	12.	13.
प्रोन्नतिः ऐसे उप निदेशक रोजगार जिनकी वेतन बैंड-3,15600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 6600 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा है और श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजागर और प्रशिक्षण महानिदेशालय के केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्थान से प्रोन्नति के उच्चतर पद के कर्तव्यों और उत्तर दायित्वों से संबंधित क्षेत्र मे दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण-1**:- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक से पहले पूरा नहीं किया है, उन पर भी इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जाएगा कि वे विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे। **टिप्पण-2**:- ऐसे व्यक्ति जो दो वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं प्रोन्नति के लिए ऐसे प्रशिक्षण से उन्हें छूट प्राप्त होगी। **टिप्पण-3**:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समित (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे- 1. अध्यक्ष या सदस्य, - अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग 2. अपर सचिव, - सदस्य श्रम और रोजगार मंत्रालय 3. महानिदेशक या संयुक्त सचिव,- सदस्य रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय 4. उप महानिदेशक (रोजगार),- सदस्य रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण: 4** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
निदेशक रोजगार	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु.+ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	लागू नहीं होता

7.	8.	9.	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा

11.	12.	13.
प्रोन्नतिः ऐसे संयुक्त निदेशक रोजगार जिनकी वेतन बैंड -3,15600-39100 रु.+ ग्रेड वेतन 7600 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा है, और श्रम और रोजगार मंत्रालय,	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समित (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे- 1. अध्यक्ष या सदस्य, - अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

रोजागर और प्रशिक्षण महानिदेशालय के केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्थान से निदेशक रोजगार के प्रोन्नति के पद के कर्तव्यों और उत्तर दायित्वों से संबंधित क्षेत्र मे दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण-1:-** ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक से पहले पूरा नहीं किया है, उन पर भी इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जाएगा कि वे विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे। **टिप्पण-2:-** ऐसे व्यक्ति जो दो वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं प्रोन्नति के लिए ऐसे प्रशिक्षण से उन्हें छूट प्राप्त होगी। **टिप्पण-3:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	2. सचिव, - सदस्य श्रम और रोजगार मंत्रालय 3. महानिदेशक या संयुक्त सचिव, - सदस्य रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय 4. उप महानिदेशक (रोजगार) - सदस्य रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय	

टिप्पण: 4 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. डीजीईएंडटी-ए-12018/1/2004-प्रशा.2]

एम. एस. कलानियां, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2015

G.S.R.178(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the —

(i) Central Institute for Research and Training in Employment Service (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1969, in so far as they relate to the posts of Director, Deputy Director, Assistant Director (Staff Training), Senior Research Officer, Senior Research Officer (Occupational Research), Research Officer, Research Officer (Occupational Research) and Training Officer;

(ii) Directorate General of Employment & Training (Senior Programmer) Recruitment Rules, 1988;

1149 GI/15-4

(iii) Directorate of Employment, Directorate General of Employment and Training (Group 'A' Gazetted posts) Recruitment Rules, 1994; and

(iv) the Ministry of Labour, Directorate General of Employment and Training, Deputy Director (Rehabilitation) (Group 'A' Gazetted) and Assistant Director (Rehabilitation) Recruitment Rules, 2004,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate recruitment for the posts of Director of Employment, Joint Director of Employment, Deputy Director of Employment and Assistant Director of Employment in the Directorate of Employment, Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training, Directorate of Employment (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**–The number of posts, classification and the pay band and grade pay or pay scale attached to the said posts shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be reordered in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving clause.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Director of Employment.	23* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3, Rs.15600-39100/- plus grade pay of Rs.5400/-	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and education qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Three years regular service in the post of Research Officer-II or Planning Officer or Sub-Regional Employment Officer or Officer on Special Duty or Junior Scientific Officer or Psychologist in Directorate General of Employment and Training or Technical Assistant (Senior) or Senior Technical Assistant or Psychologist or Rehabilitation Officer of Vocational Rehabilitation Centres, which are in the pay scale of pay band-2, Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs.4,600/- and have successfully completed two weeks' training in the field of duties and responsibilities of the higher promotional post of Assistant Director of Employment from Central Institute for Research and Training in Employment Service, Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment or any other Institute notified by Government of India.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment - Member; 3. Deputy Director General (Employment), Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment - Member 4. Director (Administration), Ministry of Labour and Employment - Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for promotion.

Note 1:- Those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year from the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2:-Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training for promotion. Note 3:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 4:-For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Director of Employment.	29* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.6600/-	Selection.	Not exceeding forty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam,

					Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti Districts and Panji sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
(I) Master's degree in Economics or Statistics or Mathematics or Commerce or Psychology or Sociology or Social Work from a recognised University; (II) five years' experience in the field from Government organisations or Universities or Institutions created by an Act of Parliament or by the State Legislative: (A) collection, analysis and interpretation of data, or socio-economic investigation, or research relating to demographic, employment and manpower problems; or (B) employment service operations including employment market information; or (C) vocational guidance and employment counseling; or (D) personnel organisation and management; or (E) Electronic Data Processing **Note1:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified **Note 2:-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age- No. Educational Qualifications- Yes.	One year for direct recruitment.	30 percent by promotion and 70 percent by deputation (including short-term contract), failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion Assistant Director of employment with five years' regular service in the pay band-3, Rs. 15,600-39,100/- plus grade pay of Rs. 5,400/- and have successfully completed two weeks training in the sphere relating to duties and responsibilities of the promotional posts of Deputy Director of Employment from Central Institute for Research and	I. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Secretary or Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment - Chairman; 2. Director General or Joint Secretary, Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment - Member;	Consultation with Union Public Service commission necessary while making direct recruitment.

1149 GI/15-5

Training in Employment Service, Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment or any other Institute notified by Government of India. **Note 1:-** Those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year from the date of meeting of Departmental Promotion Committee. **Note 2:-**Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training for promotion. **Note 3:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 4:-**For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation (Including Short Term Contract): Officers of the Central or State Government or Union Territories Administration or Universities or recognised research institutions:	3. Deputy Director General (Employment), Directorate General of Employment and Training - Member; 4. Director of Employment, Directorate General of Employment and Training - Member. II. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Secretary or Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment - Chairman; 2. Director General or Joint Secretary, Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment - Member; 3. Deputy Director General (Employment), Directorate General of Employment and Training - Member; 4. Director of Employment, Directorate General of Employment and Training - Member.	

(I) holding analogous posts on regular basis; or (II) with five years' regular service in posts in the pay band-3, Rs.15,600-39,100 plus grade pay of Rs. 5,400/- ; and (III) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** - The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:**- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in a Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:**- The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract), shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:**-For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Joint Director of Employment.	5* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3, Rs.15600-39100/- plus grade pay of Rs.7600/-.	Selection.	Not applicable.

1149 GI/15-6

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Director of Employment with five years' regular service in the pay band-3, Rs.15,600-39,100/- plus grade pay of Rs. 6,600/-, and have successfully completed two weeks training in the field of duties and responsibilities of higher promotional post from Central Institute for Research and Training in Employment Service, Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment or any other Institute notified by Government of India. **Note 1:-** Those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year from the date of meeting of Departmental Promotion Committee. **Note 2:-** Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training for promotion. **Note 3:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 4:-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment – Member; Director General or Joint Secretary, Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment - Member; Deputy Director General (Employment), Directorate General of Employment and Training - Member.	Consultation with Union Public service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Director of Employment	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-4, Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs.8700/-	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Joint Director of Employment with five years' regular service in the pay band-3, Rs.15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/-, and have successfully completed two weeks training in the field of duties and responsibilities of Director of Employment from Central Institute for Research and Training in Employment Service Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment or any other Institute notified by Government of India. **Note 1:-** Those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year from the date of meeting of Departmental Promotion Committee. **Note 2:-** Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training for promotion, **Note 3:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 4:-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; Secretary, Ministry of Labour and Employment – Member; Director General or Joint Secretary, Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment - Member; Deputy Director General (Employment), Directorate General of Employment and Training - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. DGE&T-A-12018/1/2004-Adm.II]

M.S. KALANIA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.